

Both Ashoka and Akbar Hotels of Delhi come under I.T.D.C. but the pay scales of employees of both the hotels are not the same. An agitation is going on in this regard. Many leaders of the employees have been suspended. The hon. Minister should make a statement in this respect.

Shri Madhu Limye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, you must not have forgotten that once I had raised the matter of Shri Javed Alam who was kicked out of his job because he married a Hindu girl. It has been reported that a Jat lady lecturer and Harijan Lecturer of Mahilpur college in district Hoshiarpur married each other and both of them have been thrown out of their job on this account. Does the Government propose to send this matter to Scheduled Castes and Scheduled Tribes committee or the Prime Minister will make a Statement about it.

A discussion should also be held on the reports of Bank Commission and Sugar Enquiry Committee.

Karnataka Assembly had passed a Bill on land reforms. For the last 6 month it has been lying with the President for his assent. Many assurances are given in regard to land reforms on the eve of elections. I wish to know why the Government has not been able to take a decision on the Land Reforms Bills Karnataka and Maharashtra ?

Shri Chandrika Prasad (Balija) : Mr. Speaker, Sir atrocities are being committed on agricultural labourers of Suratgarh farm. I have received telegrams from there that they are going on strike from 4th March. I wish that the hon. Agriculture Minister should intervene in the matter.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : शायद माननीय सदस्य श्री कछवाय को मालूम नहीं है कि दल बदलूँओं सम्बन्धी विधेयक पर संयुक्त समिति विचार कर रही है। जहाँ तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं उनकी सूचना संबद्ध मंत्रियों को दे दूँगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

Motion of Thanks on the President's Address—

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह सच है कि गत कुछ महीनों में हमारी जनता की कठिनाईयाँ कुछ बढ़ गई हैं क्योंकि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं तथा उनका अभाव हो गया है। किन्तु इसके लिए कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य कारण जिम्मेदार हैं। मैं यह तो नहीं कहती कि सरकार का इससे तनिक भी दोष नहीं है। हो सकता है कि सरकार ने भी गलतियाँ की हों लेकिन इतने बड़े देश और उसकी समस्याओं को देखते हुए कुछ गलतियों का होना अस्वाभाविक नहीं है। आज देश के सामने, संसद के सामने प्रश्न यह है कि इस संकट का मुकाबला कैसे किया जाए। और कैसे इस बोझ को कम किया जाए। क्या यह कार्य केवल क्रोध और असहयोग दिखाकर और हिंसा को अनदेखी कर या इसे प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। मेरे विचार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस दृढ़ निश्चय और उत्तरदायित्व की भावना परिलक्षित है और प्रसन्नता की बात है कि सदन के अधिकांश वक्ताओं ने भी यही बात कही है। मेरा निवेदन है कि जब भी कोई सदस्य अपने भाषण में आँकड़ों का उल्लेख करें तो वह पहले इस बात की जाँच

कर लें कि वह आंकड़े सही हैं अथवा नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में अग्रेज 12 से अधिक व्यक्तियों की जान नहीं ले सके। अतः आंकड़ों के सम्बन्ध में जरा ध्यान रखा जाए।

हम पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया है। माननीय सभा को शायद यह मालूम है कि हम ने यहाँ इतना कुछ विरोध का प्रदर्शन होते देखा है। उसके उत्तर में हमने काफी सहनशीलता का प्रमाण दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने जो आंकड़े दिये हैं, अभी भी मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहता हूँ। प्रधान मंत्री उसका खण्डन कर सकती हैं। सभा को गुमराह करने का प्रयत्न मत कीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हीं सदस्य महोदय ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है कि मैंने तानाशाही प्रवृत्ति से लाभ उठाया है। तानाशाही प्रवृत्ति की ओर ध्यान न देकर मैं लोकतंत्र के मामले का समर्थन कर रही थी क्योंकि इस सम्बन्ध में अन्य लोगों के वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये थे। मैंने हाल के वक्तव्यों का उत्तर दिया था जिनसे यह प्रतीत होता था कि मैंने लोकतंत्र में विश्वास खो दिया है। मैंने प्रत्येक अवसर पर यह कहा है कि यद्यपि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने आप में धीमी होती है तथापि इस प्रक्रिया से ही लोग समूचे रूप से शक्तिशाली बनते हैं और हम दल तथा देश के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिये वचनबद्ध हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि मैंने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मन नहीं दिया, तो उत्तर प्रदेश को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता नहीं मिलेगी। मैं इस वक्तव्य को शरारतपूर्ण, विद्वेषपूर्ण तथा राजनीति से प्रेरित तथा पूर्णतः गलत, कहती हूँ। मैंने अनेक सभाओं में मिली जुली सरकार से, जो उस योजना का अनुमोदन नहीं करती है, जिसे स्वीकृत किया जा चुका हो तथा माना जा चुका हो, होने वाली हानियों के बारे में कहा है। मैंने अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा है, किन्तु मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इससे कोई अन्तर पड़ेगा। वास्तविकता तो यह है कि मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम दलगत दृष्टिकोण को ध्यान में न रख कर प्रत्येक सरकार को इसके निर्वाचित तथा सत्तारूढ़ हो जाने पर हर प्रकार की सहायता देने रहे हैं। केन्द्र का इस सरकार से बड़ी सम्बन्ध हो जाता है, जो किसी अन्य सरकार से होता है। किन्तु यदि कोई सरकार मूल रूप से हमारी नीति का निरनुमोदन कर देती है जैसा कि अतीत में कुछ सरकारें करती रही हैं, तो हमारी सहायता उनके लिये सहायक सिद्ध नहीं होती और वे उस प्रकार की सहायता प्राप्त करना नहीं चाहती।

श्री वाजपेयी यह भूल जाते हैं कि वह उत्तर प्रदेश को किसी चुनाव सभा में भाषण नहीं दे रहे हैं, अपितु वह इस समय संसद में बोल रहे हैं। उनके दल के कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की है कि जन असंतोष तथा लोगों की कठिनाईयों का गलत लाभ उठाने के लिये मैं विरोधी दलों पर दाय लग रही हूँ। श्री वाजपेयी ने यह भी कहा है कि उनका दल अपना यह नैतिक कर्तव्य समझता है कि वे जन असंतोष का संचालन करें। सामान्य परिस्थितियों में तो यह विरोधी दलों का अधिकार है कि जन असंतोष को अपने उद्देश्य को सिद्ध करने तथा लाभ को पाने के लिये संचालन तथा उपयोग करें। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि जब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हो, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय संकट है जिसमें हमारे लाखों लोग प्रभावित हैं। यदि विपक्षी दल सरकार की आलोचना करे, तो यह बात तो समझ में आती है। किन्तु वर्तमान संकट में, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन विभिन्न आन्दोलनों से लोगों की कठिनाईयाँ बढ़ी हैं।

जनसंघ ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने तथा गलत वक्तव्य देने की कला विकसित कर ली है।

यदि लोग मेरी सरकार को हटा दें, तो मैं निश्चय ही खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगी। किन्तु मैं उन नीतियों या आदर्शों को नहीं छोड़ूंगी जिन्हें 'मैं' ठीक समझती हूँ और उनके लिये मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी।

मैं श्री शमीम द्वारा बताये गये साम्प्रदायिकता तथा जातीयता के खतरों से पूरी तरह सहमत हूँ। हम सभी को पूरी शक्ति के साथ इसका मुकाबला करना है। हमने साम्प्रदायिक दलों अथवा अन्य दलों के साथ सिद्धान्तहीन गठबन्धन नहीं किया है।

श्री एम० ए० शमीम (श्रीनगर) : मुस्लिम लीग के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं मुस्लिम लीग के बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल में तथा केरल में क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अनेक वर्ष पूर्व इस मामले पर विचार किया गया था और इस बारे में मैं जनता के सामने स्पष्ट कर दिया गया था। तब मेरा विचार नहीं था कि मुस्लिम लीग, जिस रूप में यह केरल में थी, केरल में किसी साम्प्रदायिकतापूर्ण ढंग से कार्य कर रही थी...

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे वहाँ साम्प्रदायिकता का उपदेश नहीं देते थे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Koya is the President of Uttar Pradesh Muslim League also.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं ने उत्तर प्रदेश में यह कहा है कि अब वे उत्तरी क्षेत्र में भी मुस्लिम लीग को लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर में मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भिन्न भूमिका निभायी है, जिसे भूला नहीं जा सकता।

श्री मोरारजी देसाई काफ़ी समय के पश्चात् सभा में बोले हैं। मैं खुश हूँ कि उनकी बातें उनी कटु नहीं हैं जैसा कि हम ने कुछ पूर्व अवसरों पर उन्हें पाया है। उन्होंने मुझे अनेक असहजताओं के लिये दोषी ठहराया है। उन्होंने मुझ पर यह भी दोष लगाया है कि मैंने अपने सरकारी तंत्र को दोषी ठहराया है। प्रशासन में किन्हीं व्यक्तियों तथा उसकी प्रशासन प्रणाली में अन्तर होता है। मैं सदैव ही यह कहती रही हूँ कि प्रशासन में योग्य और सक्षम अधिकारी हैं, किन्तु हमारे प्रशासन का ढांचा पुराना हो चुका है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई सुझाव दिये हैं और उन में अनेक सुझावों के बारे में पग उठाये गये हैं, किन्तु उनसे कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। क्योंकि केवल थोड़े बहुत मामूली से परिवर्तन कर देना ही आवश्यक नहीं है। इसके लिये आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसे किया जाना आसान नहीं है।

श्री देसाई ने अष्टाचार के बारे में कहा है। जब श्री देसाई सरकार में थे, तो वह अष्टाचार के आरोपों को लगाने की आदत को पसंद नहीं किया करते थे। यह वास्तव में ही खेद की बात है कि अष्टाचार सामन्तशाही और उपनिवेशवादी युग से अभी तक निरन्तर चला आ रहा है जबकि हम स्वतंत्र हैं। किन्तु हम सभी यह जानते हैं कि प्रगति और परिवर्तन की अवधि के दौरान मनुष्य में प्रायः एक

प्रकार की स्वाभाविक निर्बलता तथा चंचलता पैदा हो जाती हैं। अभावों की स्थिति में कुछ लोग जमा खोरी करने लगते हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूँ कि कुछ तत्वों के द्वारा इस प्रकार के समाज विरोधी रवैये का कठोरता से विरोध किया जाना चाहिये।

आखिरकार इस समस्या का समाधान तो अभावों को दूर करने से ही है। विशेषकर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के अधिक उत्पादन तथा समान वितरण से स्थिति में सुधार हो जायेगा। हमें अन्य प्रकार जीवन व्यतीत करने की इच्छा का भी दमन करना चाहिये और एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिसमें प्रलोभन को कम कर दिया जाये और दूसरी ओर समाज विरोधी कार्यों का पड़ोसियों तथा जनसमुदाय द्वारा विरोध किया जाना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई ने 1965-66 की सूखा स्थिति की तुलना गत दो वर्षों में उत्पन्न सूखा स्थिति से की है। देसाई जी ने इस बात की पूर्णतया उपेक्षा कर दी है कि इन दोनों सूखा स्थितियों के दौरान भारत की जनसंख्या 850-900 लाख बढ़ी है और 1965-66 में केवल बिहार में ही सूखा पड़ा था। इस बार हमें बड़े पैमाने पर पांच राज्यों तथा छोटे पैमाने पर अन्य कई स्थानों पर राहत कार्य करने पड़े हैं। उन्होंने इस तथ्य की भी उपेक्षा कर दी है कि हमने इस बार विदेशों से किसी रियायती दर पर खाद्यान्न का आयात नहीं किया। मैं सभा को यह बात याद दिलाना चाहती हूँ कि 1966 के सूखे के दौरान 190 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया था, जबकि इस बार हमने केवल 40 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया है और वह भी वाणिज्यिक शर्तों पर।

1972-73 में देश में कुल वसूली 160 लाख टन खाद्यान्न की हुई है जबकि सूखे के पूर्व के दो वर्षों में 80 लाख टन खाद्यान्न की वसूली हुई थी। जब यह सब कुछ हो रहा था, तो हमने पी० एल० 480 सहायता को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही हमने पड़ोसियों को भी खाद्यान्न भेजा।

इस बार के सूखे के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संगठित किया गया और दो वर्षों के दौरान 220 लाख टन तक खाद्यान्न वितरित किया गया। इस बात को सारे संसार ने माना है। केवल गत खरीफ फसल के पश्चात् ही अनाज की इस मात्रा में थोड़ी कमी हुई है। अब भी 80 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि मूल्यों में हुई सामान्य वृद्धि तथा सरकार द्वारा वितरित अनाज और खुले बाजार में बिकने वाले अनाज के मूल्यों में बहुत अन्तर होने के कारण अच्छी फसल होने के बावजूद भी मांग कम नहीं हुई है जैसा कि पूर्व वर्षों में हुआ करता था।

मैं अब यह बताना चाहती हूँ कि सरकारी उद्यमों के कार्यकरण में विशेष सुधार हुआ है। 1972-73 में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और आशा है कि इस वर्ष वे उत्पादन की मात्रा बढ़ाने तथा लाभ अर्जित करने की दिशा में बहुत ही सरानीय कार्य करेंगे।

कल मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। यह बजट मुद्रास्फीति को रोकने वाला बजट है। इसमें घाटे की अर्थव्यवस्था को कम कर दिया गया है। स्थिति पर निरन्तर नज़र रखी जायेगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी घाटे की अर्थव्यवस्था को बढ़ने न दिया जाये। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निश्चय ही वित्त संबंधी मामलों में मितव्ययता सम्बन्धी उपायों की कठोरता से पालन करना होगा। बजट तो इस स्थिति से निपटने के लिये एक साधन मात्र है। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में अन्य साधनों का भी उपयोग करना पड़ेगा।

मैं भी उन अनेक सदस्यों के साथ हूँ जिन्होंने बड़े ही स्पष्ट और खेद भरे शब्दों में गुजरात के बारे में कहा है। यह शिकायत की गयी है कि हम संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत ही कम कहा गया है। किन्तु मुझे विश्वास है कि सदस्य इस बात को समझेंगे कि वहाँ परिस्थितियाँ इतनी तेजी से बदल रही हैं और इस बात को देखते हुए वहाँ के बारे में कम उल्लेख किया गया कि ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। जब भावनायें पैदा हो जाती हैं चाहे वे अच्छी भी हों, तो भी इस संदर्भ में कही गयी सही बात भी गलत लगती है और इससे संकट पैदा हो सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहाँ की विधान सभा को भंग कर दीजिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Please go to Gujarat and console the people there.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : If you go there, every thing will be alright.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं इस लिये गुजरात नहीं गयी हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाने से डरती हूँ।

कई बार मैं ने पद त्याग करने का सोचा था परन्तु मुझे परामर्श दिया गया कि इससे परिस्थिति और भी बिगड़ेगी। इसमें सन्देह नहीं कि अभावाँ और उपद्रवों से परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विधान सभा के भंग किये जाने के बारे में आप के विचार जानना चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने हताहत व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर दी है।

कहा गया है कि गुजरात में लोगों का क्रोध स्वतः स्फूर्त था, यह बात तो ठीक है परन्तु अन्य तत्वों ने इसमें वृद्धि की है। जिन छात्रों अथवा शिक्षकों ने इसका नेतृत्व किया, उन्हें पता होना चाहिये कि अन्य तत्वों द्वारा परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाया जाता है। प्राप्त रिपोर्टों से हमें पता चला है कि पूरी व्यवस्था को ठप करने के लिये फासिस्ट पद्धतियाँ अपनायी गई हैं।

क्या छात्र तथा शिक्षक चाहते हैं कि हिंसा का बोल वाला रहे? अतएव विचारशील लोगों को इस समय तनिक रुक कर स्थिति पर सभी दृष्टियों से विचार करना चाहिए।

हमारे इरादे तो शांति और व्यवस्था बनाये रखने के हैं। हम शांत वातावरण चाहते हैं ताकि हम अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर पायें। स्थिति वास्तव में अधिक जटिल है। (व्यवधान) यह आवश्यक है कि सभी मुद्दों पर विचार किया जाये परन्तु ऐसा शान्त वातावरण में ही संभव है।

कई लोगों ने विधान सभा भंग किये जाने की मांग की है। मैंने पहले भी बताया है कि सिद्धान्त रूप से अथवा नीति के रूप में हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु जब विधान सभा के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिये विवश किया जा रहा है, तो उस स्थिति में ऐसा करना क्या उचित होगा?

सभा भंग किये जाने के बाद क्या होगा? कुछ ग्रुप जिन्होंने इसकी मांग की है, वे निर्वाचनों एवं पूरे संसदीय प्रजातंत्र के विरुद्ध हैं।

हम सामान्यतः लोगों को अपने कार्यों पर जाने का अवसर क्यों नहीं देते? उसके पश्चात् हम बैठ कर मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। राज्य में सरकार स्थापित करना तो संभव है और न ही ऐसा करने का हमारा कोई इरादा है।

श्री रण बहादुर सिंह ने यूनान-रोम राजनीतिक विचारधारा पर विचार करने को कहा है। यूरोप की परम्परा, न केवल भारत, अपितु समग्र विश्व के लिये उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर चर्चा रोचक रहेगी।

श्री मधु लिमये ने अंतर्जातीय विवाहों का मामला उठाया था। खेद की बात है यदि इस प्रकार के विवाह करने वालों को कष्ट उठाना पड़े। विवाह एक निजी बात है और हम इस पर ध्यान देंगे।

हरिजनों आदि के संबंध में मामले पर निर्णय कांग्रेसी एवं गैर कांग्रेसी सरकारों के सहयोग से ही किये जा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या यह महाराष्ट्र में शिवसेना के कृत्यों पर लागू नहीं होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : शिवसेना ने बंबई के नाम को भी बदनाम कर दिया है। हम सभी चाहते हैं कि इस प्रकार की तथा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिमला समझौते की शेष बातों को क्रियान्वित करने की इच्छा व्यक्त की गई है। शीघ्र ही बंगलादेश के प्रधान मंत्री का हम भारत में स्वागत करेंगे। ईरान के साथ हमारे आर्थिक संबंध और दृढ़ होते जा रहे हैं।

सैनिक अड्डों एवं हमारे निकटवर्ती क्षेत्रों में शास्त्रों के एकत्र होने से हमें चिन्ता हो गई है। इससे भय का कोई कारण नहीं है। अतएव यह आवश्यक है कि हम सतर्कतापूर्वक अपनी कठिनाइयों पर काबू पावें तथा संकट का पर्याप्त दृढ़ता से सामना करें।

यह समय हमारी कष्ट महन करने की क्षमता के जांच करने का है। हमें आत्म-विश्वास और निष्ठापूर्वक कार्य करना है। क्या इस समय देश की भीतरी अवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी नहीं है कि बंगला देश के संकट के समय जैसा सहयोग करके समस्या का हल करें?

वर्तमान संकट का सामना करने के लिए हम एकता अपनायें तथा सभी स्त्रियों को एकत्र करें और अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों का समाधान करने के लिये अपने निर्यात को बढ़ायें। (व्यवधान)

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूँ कि यह कार्यक्रम रचनात्मक है तथा इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। जहां तक तेल का संबंध है यह भी हमारे रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। अन्त में मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendments No. 1 was put and negatived.